न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 2/2020 धारा 14(4) आवंटन नियम 1970

1. सरदार सिंह राजपूत पुत्र श्री मूल सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीराम गुर्जर पुत्र श्री लादूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीलवा तहसील व जिला दौसा
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र उजरात अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा कैंप तीतरवाडा में दिनांक 14.6.1989 जिसके तहत अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पीलवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.44है. भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित— 1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री चन्दर सिंह, पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक: 28.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.6.1989 को ग्राम पीलवा के खसरा नंबर 212 रकबा 0.44है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम पीलवा में आराजी खसरा नंबर 212 रकबा 0.44है. सिवाय चक भूमि स्थित थी जिस पर प्रार्थी का 40–50 सालों से लगातार चला आ रहा है और आज दिन भी प्रार्थी ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ने आवंटन कमेटी के सदस्यों से साज करके गुपचुप में दिनांक 14.6.1989 को अपने नाम भूमि आवंटन करा ली। अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पीलवा स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.44है. का किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं प्रकिया, नियमों व उपनियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करके बिना किसी उद्घोषणा जारी किये बिना व उद्घोषणा की तामील कराये बिना मौके पर अवैध आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित भूमि आवंटन के समय खाली भूमि नहीं थी बल्कि प्रार्थी के कब्जे में थी। प्रार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व के समय से कब्जा चला आ रहा है और आज दिनांक को भी मौके पर प्रार्थी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। आवंटित भूमि खाली नहीं होने के कारण आवंटन योग्य नहीं होते हुए भी आवंटन कमेटी ने भूमि आवंटन करने में भूल की है। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 भूमिहीन काश्तकार भी नहीं था, किन्तु आवंटन कमेटी ने इस तथ्य को दरकिनार कर अप्रार्थी सं0 1 को भूमि का आवंटन कर दिया। अप्रार्थी सं0 1 ने भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन किया है उसमें तथ्यों को छिपाकर

......निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:57 IST
Reason: Self Attested
Web Copy - Not Official

आवदेन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आवेदन पत्र के कॉलम नं0 2 व 3 की पूर्ति नहीं की गई है ना ही प्रमाणीकरण पर अप्रार्थी सं0 1 के हस्ताक्षर है। उसके बावजूद भी आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है। कानूनन भूमि आवंटन के बाद आवंटी को प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर एवं द्वितीय वर्ष में संपूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त करना अनिवार्य है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ने आज दिन तक न तो भूमि का कब्जा लिया है और ना ही काश्त की है। अप्रार्थी सं0 1 भूमिहीन नहीं था, ना ही पटवारी हल्का ने अप्रार्थी को भूमिहीन बताया है। अप्रार्थी सं01 के पास पूर्व से ही काफी मात्रा में काश्त योग्य भूमि उपलब्ध थी, फिर भी आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि आवंटित कर कानूनी भूल की है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैंप तीतरवाडा द्वारा दिनांक 14.6.1989 जिसके तहत अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पीलवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.44है0 भूमि का आवंटन किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा होने के आधार पर भूमि का आवंटन एवं नियमन प्रार्थी के नाम करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं0 1 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार की दलील है कि अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा ग्राम पीलवा में आवंटन योग्य भूमि होने से विधिवत रूप से आवेदन पत्र भर कर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात खसरा नंबर 212 में से 0.44है. भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 14.6.1989 को आवंटन किया गया। अप्रार्थी सं0 1 भूमिहीन था एवं आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी के द्वारा वर्ष 1989 में किये गये आवंटन आदेश को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक विलंब से चुनौती दी गई है। साथ ही विलंब से आवंटन को चुनौती दिये जाने का कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति की कोरम में अप्रार्थी सं. 1 को भूमि का विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप तीतरवाडा की सिफारिश पर अप्रार्थी सं0 1 श्रीराम पुत्र लादूराम गुर्जर निवासी पीलवा को ग्राम पीलवा स्थित आराजी खसरा नंबर 212 में से 0.44है. भूमि दिनांक 14.6.1989 को आवंटित की गई है। अप्रार्थी सं0 1 को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर वर्तमान में भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लगभग 40–50 वर्षों से कब्जा होना बताया है किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। अप्रार्थी सं0 1 के ग्राम पीलवा में तय सीमा से अधिक भूमि अधिक होना व भूमिहीन कृषक की श्रेणी में न आने के कथन में अप्रार्थी सं0 1 के राजस्व रिका[illegible] नकल प्रस्तुत नहीं की जिससे उस बात को बल मिलता हो कि अप्रार्थी सं0 1 भूमि[illegible] भूमिहीन नहीं था। अप्रार्थी नं0 1 को प्रमाण के बिना भूमिहीन [illegible] असत्य व निराधार है। भूमि आवंटन योग्य नहीं थी, एवं आवंटित की गई भूमि को [illegible] जारी नहीं की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण भी अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत आवंटन आदेश को 30 वर्ष से भी अधिक विलंब से चुनौती दी गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी श्रीराम को किया गया आवंटन सलाहकार समिति कैंप तीतरवाडा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

किया गया भूमि का आवंटन विधिवत रूप से किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप तीतरवाडा द्वारा अप्रार्थी श्रीराम के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14.6.1989 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जून 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested